Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर विकास प्राधिकरण का तहसीलदार, तीन गिरदावर, एक कनिष्ठ अभियंता, पटवारी एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) एक साथ अलग–अलग रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **भू–रूपान्तरण हेतु मांगी गई लाखों की रिश्वत, आरोपियों से पूछताछ एवं ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 अगस्त, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **जयपुर विकास प्राधिकरण के लक्ष्मीकांत गुप्ता तहसीलदार, श्रीमती रूकमणि गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक), रविकांत शर्मा गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक), विमला मीणा गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक), खेमराज मीणा कनिष्ठ अभियंता श्रीराम पटवारी जेडीए जोन–9, जयपुर एवं दलाल महेश चंद मीणा (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से अलग–अलग रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी जमीन के रूपान्तरण अन्तर्गत 90–ए करवाने की एवज में जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–9 के लक्ष्मीकांत गुप्ता तहसीलदार द्वारा **1 लाख रुपये,** श्रीमती रूकमणि गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) द्वारा **1 लाख रुपये,** रविकांत शर्मा गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक), खेमराज मीणा कनिष्ठ अभियंता द्वारा **40 हजार रुपये,** श्रीराम शर्मा पटवारी द्वारा 20 हजार रुपये, विमला मीणा गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) एवं उसके पति दलाल महेश चंद मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से कुल **13 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण लक्ष्मीकांत गुप्ता तहसीलदार को **50 हजार रुपये,** श्रीमती रूकमणि गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) को **20 हजार रुपये**, खेमराज मीणा कनिष्ठ अभियंता जेडीए जोन–9, जयपुर को **40 हजार रुपये,** रविकांत शर्मा गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) को 20 हजार रुपये एवं श्रीराम शर्मा पटवारी को **20 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी विमला मीणा गिरदावर (भू–अभिलेख निरीक्षक) एवं दलाल महेश चंद मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) को भी संलिप्तता के आधार पर मौके पर गिरफ्तार किया गया है।

Helpline 1064 | 94135-02834

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए. सी.बी. के पास भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी एवं साक्ष्य मौजूद हैं। इन सूचनाओं के आधार पर हम भविष्य में कड़ी कार्यवाही करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। हम दृढ़ता से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी स्तर के अधिकारी या कर्मचारी को ए.सी.बी. राजस्थान द्वारा बक्शा नहीं जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**